

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
गो0 ब0 पंत कृषि0 एवं प्रौ0 वि0वि0, पंतनगर

पत्राक संख्या : अ.छा.क/183

दिनांक:- मार्च, 6, 2025

सूचना

विषय:-मण्डी समिति छात्रवृत्ति केवल कृषि, मत्स्य संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिये

वर्ष 2024-25 के प्रथम वर्ष के लिये विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों से उत्तराखण्ड कृषि मण्डी परिषद द्वारा लागू छात्रवृत्ति योजना के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अधोहस्तक्षरी के कार्यालय में आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय को प्राप्त हो जाने चाहिए। दिनांक 31.03.2025 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदनकर्ता को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना अनिवार्य हैं जो छात्र निर्धारित शर्तों को पूरा न करते हों, वे आवेदन करने हेतु अर्ह नहीं हैं।

उपरोक्त छात्रवृत्ति की दर रू0 1500/-प्रति माह हैं इच्छुक छात्र आवेदन पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट पर स्टूडेंट कार्नर से डाउनलोड प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित प्रपत्रों के साथ इस कार्यालय में जमा करें।

शर्तें एवं नियम


1. विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति की संख्या निम्न प्रकार होगी:

| | कृषि संकाय | मत्स्य संकाय |
|--------------------------|------------|--------------|
| स्नातक स्तर के लिये | 20 | 05 |
| स्नातकोत्तर स्तर के लिये | 05 | 02 |

2. लघु एवं सीमांत कृषकों, खेतीहार मजदूरों तथा मण्डी कार्मिकों व मण्डी सचिवों के पुत्र व पुत्रियों तथा उन परपूर्ण रूप से आश्रित ही छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।
3. छात्रवृत्ति की सुविधा उन्हीं मण्डी क्षेत्रों के कृषकों हेतु अनुमन्य होगी जहाँ विनिमानय लागू हुआ हो अर्थात धारा 9 व 10 मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत लागू हुआ हों।
4. छात्रवृत्ति का आधार मैरिट होगा। स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं हेतु इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में चयन की मैरिट होगा जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु स्नातक स्तर के प्राप्तांक या ओ.जी.पी.ए. होगा।
5. छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा को उत्तराखण्ड का निवासी होना आवश्यक है।

6. एक बार छात्रवृत्ति स्वीकृत होने पर छात्रवृत्ति का देयता सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के पूर्ण करने हेतु होगी। वशर्ते छात्रवृत्ति योजना मण्डी परिषद द्वारा उस समय लागू रहती हो।
7. छात्र को यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय या अन्य श्रोत से प्राप्त हो रही है तो ऐसी दशा में मण्डी परिषद द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति अथवा अन्य छात्रवृत्तियों में से एक छात्रवृत्ति चुनकर अन्य छात्रवृत्ति वापस करनी होगी।
8. छात्रवृत्ति की पात्रता निर्धारण हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को समान मान (बेटेज) दिया जायेगा।
9. किसी भी छात्र के अनुवर्ती परीक्षा में असफल होने के शिक्षण परिविक्षिका आचरण परिविक्षिका पर होने की दशा में छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित समझा जायेगा। छात्र/छात्रा को सम्पूर्ण शिक्षण अवधि में अच्छा अनुशासन व आचरण रखना अनिवार्य होगा। यदि छात्र आचरण परिविक्षा में रखा जाता है तो छात्रवृत्ति उसी अवधि के लिये विद्वा कर ली जायेगी तथा आचरण परिविक्षा की समाप्ति के बाद पुनः छात्रवृत्ति दी जायेगी।
10. यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि छात्र/छात्रा ने कोई सूचना छुपायी है अथवा छुपाई है तो बिना सूचना के छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी।
11. शर्त 2,3,4,5 पूरी करने के लिये आवेदनपत्र के साथ मूल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अन्य शर्तें पूरी करने के लिये छात्र एवं छात्रा के अभिवाक द्वारा शर्तानुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये घोषणा पत्र छात्र के सलाहकार द्वारा प्रमाणित होनी आवश्यक है।
12. परिवार की कुल वार्षिक आय 3.0 लाख से अधिक नहीं हो जिस हेतु तहसीलदार से निर्गत आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

संलग्न:- आवेदन पत्र का प्रारूप।


 (आनन्द सिंह जीना)
 अधिष्ठाता छात्र कल्याण

नोट:-उपरोक्त छात्रवृत्ति के लिये कृषि/मत्स्य संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र ही आवेदन करें।

प्रतिलिपि:-

9. अधिष्ठाता कृषि, अधिष्ठाता मत्स्य एवं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
10. कृषि महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सूचना पटों पर।
11. कुलसचिव/ वि०वि० पुस्तकालय/ छात्र कल्याण विभाग के सूचना पट पर।
12. प्रभारी वि०वि० बेवसाइट को वि०वि० की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड
छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्र

- अ. कृपया आवेदन पत्र संभाल कर भरें। प्रस्तुत करने के बाद किसी परिवर्तन की अनुमति न होगी। यदि यह पाया गया कि कोई प्रविष्टि गलत है तो छात्रवृत्ति को तुरन्त रद्द किया जा सकेगा।
- ब. अधुरे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- स. उत्तरांचल के लघु एवं सीमान्त कृषक/खेतीहार मजदूर के पुत्र/पुत्रियाँ ही छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर सकते हैं।

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | पूरा नाम | |
| 2. | आई.डी.नम्बर | |
| 3. | महाविद्यालय का नाम | |
| 4. | बैंच | |
| 5. | पिता का नाम | |
| 6. | घर का वर्तमान पता | |
| 7. | घर का स्थाई पता | |
| 8. | निवास स्थान के मण्डी क्षेत्र का नाम | |
| 9. | क्या छात्र लघु एवं सीमान्त कृषक/खेतीहार मजदूर के पुत्र/पुत्री है यदि हों तो सम्बन्धित तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। | |
| 10. | क्या पिता/अभिभवक उत्तरांचल का स्थाई निवास है। | |
| 11. | क्या मण्डी क्षेत्र (जिसमें छात्र निवास करता है) में नियमन लागू हुआ है। सम्बन्धित मण्डी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें। | |

अन्तिम संस्था/कालेज का पूर्ण विवरण:

| क्र. सं. | संस्था/कालेज का नाम | प्रवेश तिथि | छोड़ने की तिथि | वर्ष |
|----------|---------------------|-------------|----------------|------|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|-----|---|--|
| 12. | अन्तिम उत्तीर्ण परीक्ष का नाम | |
| 13. | उत्तीर्ण करने का वर्ष | |
| 14. | परिषद/वि०वि० का नाम जिसने छात्र की परीक्षा ली | |
| 15. | अनुक्रमांक | |
| 16. | कुल प्राप्तांक (वैकल्पिक विषयों में प्राप्त अंकों सहित यदि वे श्रेणी निर्धारण में जुड़ते हों) | |
| 17. | परीक्षा में प्राप्त श्रेणी | |

| | | |
|-----|---|--|
| 18. | कुल योग के अनुसार प्राप्तकों का प्रतिशत | |
| 19. | परीक्षा में प्राप्त स्थान | |
| 20. | यदि प्रार्थी को अन्य कोई छात्रवृत्ति/छात्रवृत्तियाँ राज्य सरकार/संस्था/व्यक्ति से प्राप्त हों तो उनका विवरण, मासिक दर तथा दिनांक जब से छात्रवृत्ति प्राप्त की है, विवरण दें | |
| 21. | आवेदन पत्र के साथ भेजे जा रहे संलग्नकों की विवरण यदि गोप है तो गोप का प्रमाण पत्र संलग्न करें। | |
| 22. | क्या अपने किसी अन्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है यदि हाँ तो छात्रवृत्ति का नाम तथा सम्बन्धित संस्था का नाम एवं पता | |
| 23. | दूरभाषा/मोबाइल नं. | |

(जो न भेज रहे हों उसे कृपया काट दें)

1. अन्य प्रमाण पत्र।
2. परिषद/विश्वविद्यालय की पिछली परीक्षा जिसे उत्तीर्ण किया हो, के प्राप्तकों की प्रमाणित प्रति।
3. प्रधानाचार्य/छात्र अधीक्षक का छात्रावास में रहने का प्रमाण पत्र।
4. स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय में चयन की मैरिट प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर के प्राप्तांक या ओ.जी.पी.ए.।
5. अन्य कोई प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित विवरण सही है। मैं घोषणा करता/करती हूँ। कि यदि मेरा चयन इस छात्रवृत्ति हेतु होता है मैं अपना पूरा समय अध्ययन में लगाऊंगा/लगाऊंगी और अन्य किसी श्रोत से कोई छात्रवृत्ति नहीं लूंगा/लूंगी। मैंने कोई सूचना न तो छिपायी है। मैंने छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें पढ़/समझ ली है।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

अधिष्ठाता की आख्या

श्री/श्रीमती/कु0/.....आई.डी.नं.....
जो श्री.....के पुत्र/पुत्री है के बारे में प्रमाणित किया जाता है कि उन्हें
संस्था के.....पाठ्यक्रम में जो.....वर्ष का है, भर्ती किया गया है। वह
छात्रावास में नहीं रहता/रहती है।

संस्तुति

अधिष्ठाता

सलाहकार

संस्था की मोहर

1. भूमि

अ. स्वतंत्र रूप से स्वामी की हैसियत से (यदि पूरी भूमि या उसका अंश पट्टेदारी/साझेदारी में उठा दी गई है तो इसके विवरण दें)

क. क्षेत्रफल

ख. गांव

ग. सर्वे संख्या

घ. भूमि का लगान

ब. संयुक्त रूप से स्वामी की हैसियत से

क. क्षेत्रफल

ख. गांव

ग. सर्वे संख्या

घ. भूमि का लगान

स. स्वतंत्र रूप से पट्टेदार/साझेदार की हैसियत से

क. क्षेत्रफल

ख. गांव

ग. सर्वे संख्या

घ. भूमि का लगान

2. अन्य सम्पत्ति एवं उनकी आय (मकान/अुकाने आदि)

क. मकान सं०

ख. गली/सड़क

ग. गांव/कस्बा/शहर

घ. क्षेत्रफल

छात्र के पिता/माता के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रपत्र निम्न है।

1. कृषि उत्पादन मण्डी समिति प्रमाण-पत्र।
2. अभिभावक का कृषक परिचय-पत्र।
3. बैंक पासबुक।
4. आधारकार्ड।
5. अभिभावक का आधारकार्ड।
6. स्थाई निवास प्रमाण-पत्र।
7. आय प्रमाण-पत्र।
8. खाता-खतौनी।
9. शैक्षिक प्रमाण पत्र